सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

जिल्द 78 वैशाख 24, गुरुवार, शाके 1948– मई 14, 2026 अंक 7
Vol. 78 Vaisakha 24, Thursday, Saka 1948 – May 14, 2026 No. 7

भाग 7
विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम उपनाम / सरनेम/परिवर्तन करने का बंध–पत्र

(नियम 8 राजस्थान सेवा नियम, वित्त विभाग के आदेश संख्या एक 1/12 /एफ.डी.ई. आर.187 दिनांक 10.04.1957 की अनुपालना में)

इस बंध पत्र द्वारा में निम्न हस्ताक्षरकर्ता रेवन्त सिंह (Revant Singh)/(नया नाम जो अभी इससे पूर्व रेमंत सिंह (Remat Singh) (पुराना नाम) कहलाता थाएवं जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (संबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कवास तहसील व जिला बाड़मेर राजस्थान में (स्थान जहां राज्य सरकार की विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था, एतद्द्वारा :–

1. स्वयं तथा मेरी पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतयाः आश्रित हो मेरे पूर्व नाम रेमंत सिंह (Remat Singh) उपनाम (सिर्फ) को त्यागता हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम रेवन्त सिंह (Revant Singh) तथा उपनाम रेवन्त सिंह (Revant Singh) ग्रहण करता हूँ एवं इसलिए मैं, मेरे पति पत्नी, बच्चे, दूर के बच्चे एतद् द्वारा मेरे पूर्व उप नाम रेमंत सिंह (Remat Singh) (केवल) से न जाने जाएं तथा पहचाने जाए बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये उपनाम रेवन्त सिंह (Revant Singh) द्वारा जाने जाए।
2. उक्त मेरे निश्चिय को साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता हूँ कि मैं एतद्पश्चात् सभी समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, बंध पत्र प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहीयों, व्यवहारों एवं लेन देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व रेमंत सिंह (Remat Singh) तथा उपनाम (सिफ) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में रेवन्त सिंह (Revant Singh) नाम के रूप में तथा रेवन्त सिंह (Revant Singh) उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा एवं हस्ताक्षर करूंगा।
3. स्पष्टतः एतद्पश्चात तथा सभी समय, सभी व्यक्तियों को मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, दूर के बच्चों के तदनुसार नये रखे नाम रेवन्त सिंह (Revant Singh) उपनाम के नाम से संबोधित करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ। करती हूँ तथा उसके लिए निवेदन करता हूँ करती हूँ।

इसके साक्षी में, मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम रेमंत सिंह (Remat Singh) तथा रेवन्त सिंह (Revant Singh) का वर्णन किया हैं तथा दिनांक 05.03.2026 को हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम रेवन्त सिंह (Revant Singh) द्वारा जो पूर्व में रेमंत सिंह (Remat Singh) कहलाता था, हस्ताक्षर किये हैं।

रेवन्त सिंह
हस्ताक्षर
पुराना नाम : रेमंत सिंह (Remat Singh)
नया नाम : रेवन्त सिंह (Revant Singh)
श्री रेवन्त सिंह पुत्र हमीर सिंह
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी C.H.C. कवास

साक्षी :–

1. हनुमान राम पुत्र मुकनाराम, S N.O. CHC कवास
2. श्री हुकमाराम पुत्र लीलाराम माली, N.O. CHC कवास

ATTESTED
CHENARAM CHOUDHARY
NOTARY
CHOHTAN (BARMER).

प्रतिहस्ताक्षर
भैरू सिंह
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
डुण्दा (कवास) बाड़मेर।

4708

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।